ERF

Hindi 印度語

आपातकालीन राहत कोष
Emergency Relief Fund

उन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है जिन्हें आगजनी, बाढ़, तूफ़ान, भूस्खलन, चक्रवात या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण तुरंत राहत की आवश्यकता है

Provides financial assistance to persons who are in need of urgent relief as a result of fire, flooding, tempest, landslide, typhoon or other natural disasters

緊急救援基金

社會福利署
Social Welfare Department

漁農自然護理署
Agriculture, Fisheries and Conservation Department

地政總署
Lands Department

海事處
Marine Department

2021年6月 · JUNE 2021

जानकारी Information

आपातकालीन राहत कोष अध्यादेश (The Emergency Relief Fund Ordinance), हांगकांग के कानूनों का अध्याय 1103, आपातकालीन राहत कोष की स्थापना और संचालन की व्यवस्था करता है।

The Emergency Relief Fund Ordinance, Chapter 1103 of the Laws of Hong Kong, provides for the establishment and administration of the Emergency Relief Fund.

कोष का उद्देश्य उन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिन्हें आगजनी, बाढ़, तूफ़ान, भूस्खलन, चक्रवात या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण तुरंत राहत की आवश्यकता है। कोष से मिलने वाले अनुदान का उद्देश्य राहत पहुँचाना है न कि मुआवजा देना।

The Fund aims to provide financial assistance to persons who are in need of urgent relief as a result of fire, flooding, tempest, landslide, typhoon or other natural disasters. Grants from the Fund are intended for relief rather than compensation.

आपराधिक कृत्य (जैसे आगजनी) या जानबूझकर की गई लापरवाही (जैसे कि समुद्री अधिनियमों का उल्लंघन करना) की वजह से हुई किसी भी प्रकार की घटना के संबंध में कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

No payment will be made in respect of any occurrence resulting from a criminal act (e.g. arson) or an act of deliberate negligence (e.g. breach of marine regulations).

यह कोष ट्रस्टी के रूप में समाज कल्याण निगम के निदेशक के अधीन है। ज्यादातर मामलों में अनुदान स्वीकृत करने और भुगतान करने की जिम्मेदारी समाज कल्याण विभाग, भूमि विभाग, समुद्री विभाग, और कृषि, मत्स्य पालन और संरक्षण विभाग के पास है, जबकि गृह मंत्रालय का विभाग जिला स्तर पर समग्र समन्वय के लिए जिम्मेदार है। विभिन्न प्रकार के अनुदानों के लिए आवेदन संबंधित समय सीमा के भीतर ही किये जाने चाहिए जैसा कि ओवेरलीफ में दिखवाया गया है।

The Fund is vested in the Director of Social Welfare Incorporated as Trustee. The responsibility for approving grants and making payments is in most cases vested with the Social Welfare Department, Lands Department, Marine Department, and Agriculture, Fisheries and Conservation Department, while the Home Affairs Department is responsible for overall co-ordination at the district level. Applications for various types of grants must be made within the respective time limits as shown overleaf.

भुगतान, आपातकालीन राहत कोष भुगतान अनुसूची में जैसा निर्धारित है, के आधार पर किये जाते हैं, जोकि गृह मंत्रालय विभाग के जिला कार्यालयों में संदर्भ के लिए उपलब्ध है।

Payments are made on the basis set out in the Emergency Relief Fund Payment Schedule, which is available for reference at the District Offices of the Home Affairs Department.

पात्रता मापदंड, आवेदन प्रकियाओं, आदि के बारे में पूछताछ के लिए, कृपया संबंधित विभागों को फोन करें:

For enquiries about eligibility criteria, application procedures, etc., please phone the departments concerned:

समाज कल्याण विभाग Social Welfare Department	2343 2255
भूमि विभाग Lands Department	2231 3044
समुद्री विभाग Marine Department	2873 8368
कृषि, मत्स्य-पालन और संरक्षण विभाग Agriculture, Fisheries and Conservation Department	
कृषि Agriculture	2476 2424
समुद्री मछली पालन Marine Fish Culture	2150 7108
तालाब मछली पालन Pond Fish Culture	2471 9174
मछली पकड़ना Capture Fisheries	2150 7099

	अनुदानों के प्रकार Type of grants	आवेदन के लिए समयावधि# Time limit for application#	संचालन विभाग Operating department
A	मृत्यु या व्यक्तिगत चोट लगने पर अनुदान Grants in respect of death or personal injury	6 महीने 6 months	समाज कल्याण विभाग Social Welfare Department
B	घरेलू पुनर्वास, पुनः साज-सज्जा, स्थल निर्माण और मरम्मत अनुदान Domestic re-accommodation, re-equipment, site formation and repair grants	6 महीने 6 months	भूमि विभाग Lands Department
	घरेलू उपकरणों को हुए गंभीर नुकसान के लिए अनुदान Grant for severe damage to home appliances	30 कार्य दिवस 30 working days	समुद्री विभाग द्वारा गृह जलयानों के मामलों में जाँच और सत्यापन और भूमि विभाग द्वारा भुगतान In the case of dwelling vessels, investigation and verification by Marine Department and payment by Lands Department

	अनुदानों के प्रकार Type of grants	आवेदन के लिए समयावधि# Time limit for application#	संचालन विभाग Operating department
C	जलयानों और मछली पकड़ने के उपकरणों की मरम्मत या उन्हें बदलने के लिए अनुदान Grants to repair or replace vessels and fishing gear	30 कार्य दिवस 30 working days	कार्यकारी नौकाओं और गृह जलयानों का समुद्री विभाग Marine Department for working boats and dwelling vessels मछली पकड़ने की नौकाओं और उपकरण के लिए कृषि, मत्स्य-पालन और संरक्षण विभाग Agriculture, Fisheries and Conservation Department for fishing boats and gear
D	प्राथमिक उत्पादक अनुदान Primary producer grants		
	(i) भंडार-गृहों और कृषि इमारतों के नष्ट होने या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने पर (i) Stock houses and farm buildings destroyed or severely damaged	30 कार्य दिवस 30 working days	भूमि विभाग Lands Department
	(ii) फसलों, पशुधन या पारम्परिक मत्स्य उद्योग के नुकसान के लिए पुनर्निवेश अनुदान (ii) Rehabilitation grants for loss of crops, livestock or cultured fish	7 कार्य दिवस 7 working days	कृषि, मत्स्य-पालन और संरक्षण विभाग Agriculture, Fisheries and Conservation Department
E	विशेष अनुदान Special grants	धारा ए से डी के तहत अलग-अलग मदों की समय सीमा के अनुसार, आपदा की घटना की प्रकृति के आधार पर According to the time limits for individual items under Sections A to D, depending on the nature of the event of disaster	संबंधित संचालन विभाग Operating department(s) concerned

घटना की तारीख के बाद संबंधित समय सीमा के भीतर आपातकालीन राहत फंड के लिए आवेदन किया जाना चाहिए।
Application for Emergency Relief Fund must be made within the respective time limit after the date of incident.